फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सोहनसिंह
विपक्षी : श्री जयसिंह
पत्रावली संख्या : 172/18
किस्म मुकदमा — 88 रा0का0अ0

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :— 07.02.2020	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के मौरूस मालसिंह के नाम पर दर्ज थी, जो मालसिंह के मृत्यु के बाद नामान्तरकरण से केवल बडे पुत्र पदमसिंह के नाम पर ही नामान्तरकरण खोला गया। अन्य पुत्र गुलाबसिंह व हमेरसिंह का नाम विरासत में दर्ज नहीं किया गया। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण के पिता गुलाबसिंह द्वारा सहायक कलक्टर मावली में एक वाद 302/98 (11/95) गुलाबसिंह बनाम जयसिंह प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 13.11.2000 को स्वीकार होकर वादग्रस्त भूमि में वादी गुलाबसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री जारी की गई थी। उक्त डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में नही होने एवं वादी सं. 1 गुलाबसिंह की मृत्यु हो जाने से गुलाबसिंह के वारिसों द्वारा एक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 26 व 29 द्वारा भी जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में पदमसिंह व तेजसिंह के वारिस होने से भूमि में घोषणा हेतु निवेदन किया हैं।

प्रकरण में पूर्व में वादीगण के पिता गुलाबसिंह द्वारा जो मुकदमा पेश किया उसमें सहायक कलक्टर मावली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.11.2000 में वादग्रस्त भूमि गुलाबसिंह व हमेरसिंह व पदमसिंह के पिता मालसिंह के नाम पर थी जो मालसिंह की मृत्यु के पश्चात् अकेले पदमसिंह के नाम पर दर्ज हो गई। जिसमें विरासत के आधार पर न्यायालय द्वारा वादी गुलाबसिंह व वादी हमेरसिंह पिता मालसिंह एवं प्रतिवादी के पिता पदमसिंह का 1/3 — 1/3 — 1/3 हिस्सा निर्धारित कर आराजी नम्बर 2277 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में वादी सं. 2 हमेरसिंह एवं आराजी नम्बर 2278 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में पदमसिंह के वारिस को एवं आराजी नम्बर 2279 रकबा 8 बीघा भूमि का वादी गुलाबसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया हैं। प्रतिवादीगणों द्वारा भी प्रकरण में राजीनामा एवं काउन्टर क्लेम पेश कर पूर्व में हुए निर्णयानुसार वर्तमान में वारिसों के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं। अतः राजीनामें के आधार पर वादीगण वाद को डिक्री कराने पर सहमत हैं। राजीनामा तस्दीक किया गया। पूर्व में सहायक कलक्टर द्वारा प्रकरण सं. 302/98 (11/95) में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2000 से वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति के पक्ष में निर्णय पारित कर डिक्री किया जा चुका हैं। उक्त डिक्री के विरूद्व किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की हैं। डिक्री पारित हुए अधिक समय हो जाने से डिक्री की पालना नहीं हो सकी हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण उसी डिक्री अनुसार भूमि अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। इस बाबत् पक्षकारों द्वारा राजीनामा भी न्यायालय में पेश किया हैं जो तस्दीक किया गया हैं। अतः पक्षकार राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार कराने पर सहमत हैं। अतः वादी का वाद आपसी राजीनामा व न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 13.11.2000 के आधार पर स्वीकार योग्य पाया

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढाणा, नूरडा पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2279 रकबा 8 बीघा भूमि वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 23 से 26 के नाम एवं आराजी नम्बर 2277 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 8 से 22 के नाम एवं आराजी नम्बर 2278 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2, 29 व 3 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) ★ मावली जिला उदयपुर (राज.) ★

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.

मुकदमा नम्बर : 172/18 (वाद)

उनवान

1. श्री सोहनसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
2. श्री श्यामसिंह पिता स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री जयसिंह पिता स्व. पदमसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
2. श्री भीमसिंह पिता स्व. पदमसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
3. श्री लालसिंह पिता स्व. तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
4. श्री विक्रमसिंह पिता स्व. तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
5. लहरकुंवर पिता स्व. तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
6. सन्तोष कुंवर पिता स्व. तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
7. श्रीमती कैलाशकुंवर पत्नी स्व. तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
8. श्री दशरथसिंह पिता स्व. बाघसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
9. श्री महावीरसिंह पिता स्व. बाघसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
10. निर्मलाकुंवर पिता स्व. बाघसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
11. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी स्व. बाघसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
12. श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता स्व. उदयसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
13. श्री विक्रमसिंह पिता स्व. उदयसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
14. श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी स्व. उदयसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
15. श्री कल्याणसिंह पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
16. श्री चन्द्रसिंह पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
17. श्री विशनसिंह पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
18. श्री विजेन्द्रसिंह पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
19. ओशबकुंवर पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
20. रतनकुंवर पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
21. लाडकुंवर पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
22. कैलाशकुंवर पिता स्व. हमेरसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
23. नानुकुंवर पिता स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
24. प्रेमकुंवर पिता स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
25. दौलतकुंवर पिता स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
26. श्री उगम कुंवर पत्नी स्व. गुलाबसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
28. पटवारी, पटवार हल्का नूरडा तह. मावली।
29. श्री रामसिंह पिता पदमसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा तह. मावली।

..........प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

दावा बाबत :— 88 रा.का.अधि.
मुकदमा नम्बर : 172/18 वाद
निर्णय दिनांक : 07.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्ताई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढाणा, नूरडा पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2279 रकबा 8 बीघा भूमि वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 23 से 26 के नाम एवं आराजी नम्बर 2277 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 8 से 22 के नाम एवं आराजी नम्बर 2278 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2, 29 व 3 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.02.2020 को जारी की गई।

akshay
(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलेक्टर (SDO) ★ मावली जिला उदयपुर (राज.) ★
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner